सेल फोन में आपातकालीन चेतावनी संदेश

स्रोत: बीएस

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने अनिवार्य किया है कि भारत में सभी **फीचर फोन** में हिंदी और अंग्रेज़ी में आपातकालीन संदेशों को **ऑटो-रीडआउट करना अनिवार्य** होगा। इस आदेश ने **मोबाइल निर्माताओं के बीच चिंता** उत्पन्न कर दी है।

- **फीचर फोन** बेसिक सेल फोन की तुलना में **अधिक सुविधाएँ** प्रदान करते हैं लेकिन **स्मार्टफोन जितने उन्नत नहीं** होते हैं।
- **दूरसंचार विभाग के आदेश का मुख्य प्रावधान:**
  - भारत में बेचे जाने वाले **सभी फोनों को** हिंदी और अंग्रेज़ी में **आपातकालीन संदेशों के ऑटो-रीडआउट** करना अनिवार्य होगा, साथ ही निर्माताओं को **पूर्ण भाषा समर्थन** प्राप्त होने तक **प्रत्येक वर्ष चार अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के लिये समर्थन जोड़ना** होगा।
  - मानक स्थितियों के तहत फोनों में **चेतावनी संकेत** (साउंड, वाइब्रेशन, लाइट) **30 सेकंड तक** तथा **ऑटो-रीडआउट वाले संदेशों के लिये 15 सेकंड** तक या यूज़र द्वारा स्वीकार किये जाने तक बने रहने चाहिये।
- **फोन निर्माताओं की चिंताएँ:**
  - फीचर फोन में टेक्स्ट-टू-ऑडियो रूपांतरण के लिये **पर्याप्त मेमोरी का अभाव** होता है।
  - नई आवश्यकताओं से **उत्पादन लागत बढ़ेगी**।
  - फोन का रिडिज़ाइन करने से **उत्पादन समयसीमा प्रभावित होगी।**
  - छोटे भारतीय ब्रांडों को भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (आपदा अलर्ट के लिये सेल ब्रॉडकास्टिंग सेवा) अधिनियम, 2023 का अनुपालन करने में **चुनौतियों का सामना** करना पड़ सकता है, जिससे उनकी बाज़ार स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
    - अधिनियम में यह प्रावधान है कि **सेल प्रसारण क्षमता के बिना भारत में किसी भी स्मार्टफोन या फीचर फोन का** निर्माण या बिक्री नहीं की जा सकती।

अधिक पढ़ें: आपातकालीन चेतावनी प्रणाली

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/emergency-alert-message-in-cell-phone